

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

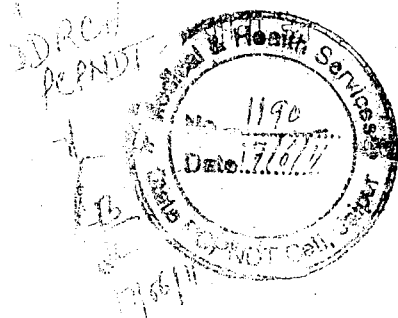
क्रमांक प. 23 (2) चिस्वा./ग्रुप-3/2003 पार्ट

जयपुर, दिनांक 14 JUN 2011

कार्यालय मिशन निदेशक
राष्ट्रीय मातृशिशु स्वास्थ्य मिशन
क्रमांक 508 दिनांक 16/6/11

आज्ञा:-

गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग वयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 (पी सी पी एन डी टी. ऐक्ट 1994) की धारा 21 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली अपील की सुनवाई कर निर्णित करने हेतु राज्य सरकार की ओर से शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एतद् द्वारा अपीलीय अधिकारी प्राधिकृत किया



आज्ञा से

६.

(सत्य प्रकाश सहायक)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, चिकित्सा मंत्री महोदय।
- 2 निजी सचिव, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
- 3 निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
- 4 अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर।
- 5 निदेशक (परिवार कल्याण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0, जयपुर।
- 6 रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव